DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT

BULLETIN PART - II

(General information relating to Legislative & other matters)

Wednesday, March 29,2000/Chaitra 09, 1922 (Saka)

No. 83

Hon'ble Members are informed that after the last date and time of withdrawal of candidatures for election to financial committees, no withdrawal having been made, election to these financial Committees shall take place on Friday 31st March, 2000 between 10 AM to 12 PM in Members Loungue, Old Secretariat, Delhi.

Hon'ble Members may kindly peruse a copy of the model ballot papers enclosed with this Bulletin. Members are requested kindly to get themselves aquainted with following election procedure :-

(a) Member, upon entering the election Hall, shall affix his signature on the attendance sheet placed with the election officer.

(b) Member shall obtain 3 ballot papers each for each financial Committee which should be signed by the Returning Officer.

(c) Member according to his choice shall by way of preference indicate number such as '1', '2', '3' etc. preference number shall not be repeated and shall be marked legibilly else the Ballot paper is likely to be declared invalid.

(d) Voting is by Secret ballot and adoption of any unfair means is prohibited else the candidature is liable to be cancelled at any time.

(f) Decision of Returning Officer in matter of elections shall be final.

S.K. SHARMA
SECRETARY

600

दिल्ली विधान सभा सचिवालय

समाचार भाग-2

(विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी)
बुधवार, 29 मार्च, 2000 / चैत्र 09, 1922 (शक)

संख्या : 83

वित्तीय समितियों हेतु निर्वाचन

माननीय सदस्यों को सूचित किया जाता है कि वित्तीय समितियों के निर्वाचन हेतु उम्मिदवारों के नाम की वापिस को अंतिम तिथि और समय तय किये जाने के बाद कोई नाम वापिस न लिये जाने के कारण इन वित्तीय समितियों हेतु निर्वाचन शुक्रवार, 31 मार्च, 2000 को 10.00 बजे पूर्वाह्न से दोपहर 12.00 बजे के बीच मेम्बर लाँउंज, पुराना सचिवालय, दिल्ली में होगा।

माननीय सदस्य कृपया इस बुलेटिन के साथ संलग्न बैलेट पेपर का नमूना देखने का कष्ट करें। सदस्यों से अनुरोध है कि वे कृपया निम्नलिखित प्रक्रिया से अपने को अवगत करालें :-

(क) निर्वाचन कक्ष में प्रवेश करने के बाद सदस्य निर्वाचन अधिकारी के पास रखी उपस्थिति पंजिका पर अपना हस्ताक्षर करेंगे।

(ख) सदस्य प्रत्येक वित्तीय समिति के लिए तीन बैलेट पेपर प्राप्त करेंगे जो निर्वाचन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होने चाहिए।

(ग) सदस्य अपने पसंद के अनुसार वरियता(अधिमान) के जरिये "1", "2", "3" आदि की संख्या अंकित करेंगे। अधिमान संख्या दोहरायी नहीं जायेगी तथा स्पष्ट रूप से लिखी जायेगी, अन्यथा बैलेट पेपर को अमान्य घोषित कर दिया जाएगा।

(घ) मतदान गुप्त बैलेट के जरिये किया जायेगा और किसी तरह का अनुचित साधन अपनाया जाना निषेध है, अन्यथा किसी भी समय उम्मिदवारी रद्द की जा सकेगी।

(ङ) निर्वाचन के मामलेंमें निर्वाचन अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।

एस. के. शर्मा
सचिव